ग्राम पंचायत चौगान, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग–एक

1. प्रस्तावना (क):–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चौगान, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का अंकेक्षण हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत चौगान में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति निगेश ठाकुर	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री शिवजीत सिंह	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत चौगान के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	21.61
2	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.04
3	8	रॉयल्टी की वसूली न करने के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान करना।	0.32
4	9	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	3.48

5	10	निर्माण सामग्री के सम्बन्ध में अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.03
6	11	मस्ट्रोल द्वारा अधिक भुगतान ।	0.01
7	12	प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों की राशि में अन्तर पाया जाना	9.25

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, पंचायत द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन सम्बन्धित कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई । वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2018 से 31.03.2020

क्र0सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	अनिर्णीत ।
2	4 व 4.1	अनिर्णीत।
3	5.1	अनिर्णीत।
4	5.2	अनिर्णीत।
5	6	अनिर्णीत।
6	7	अनिर्णीत।
7	8	अनिर्णीत।
8	9	अनिर्णीत।
9	10	अनिर्णीत।
10	11	अनिर्णीत।
11	12	अनिर्णीत।
12	13	अनिर्णीत।
13	14	अनिर्णीत।
14	15	अनिर्णीत।
15	16	अनिर्णीत।
16	17	अनिर्णीत।
17	18	अनिर्णीत।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत चौगान, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.12.2023 से 13.12.2023 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021–22	07/2021	03/2022
2022–23	09/2022	03/2023

अस्वीकरणः– वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत चौगान, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 555 दिनांक 14.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत चौगान, विकास खण्ड बैजनाथ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत चौगान के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	1358187.00	160572.00	64293.00	1583052.00	61363.00	1521689.00
2022–23	1521689.00	170445.00	64014.00	1756148.00	124778.65	1631369.35

(2) अनुदान : ग्राम पंचायत चौगान के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	2979307.54	2516142.00	78583.00	5574032.54	2507362.70	3066669.84
2022–23	3066669.84	3086858.25	64159.00	6217687.09	4057037.95	2160649.14

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDP,MPLAD,

A/c No. 20140003137	KCCB Chougan	1901859
A/c No. 50100366925864	HDFC Chougan	1890159.35
	cash in hand	0
	Total	**3792018.35**
Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)		1631369.35
Cash Book Balance on 31.03.2022		110098
Cash Book Balance on 31.03.2022		50644
Cash Book Balance on 31.03.2022		60395.54
Cash Book Balance on 31.03.2022		1890149.35
Cash Book Balance on 31.03.2022		32113
Cash Book Balance on 31.03.2022		17249.25
	Total	**3792018.49**
	diffrence	0.14

4.1 पंचायत के लेखें खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख–रखाव उक्त नियम एवं निदेर्शों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 556 दिनांक 14.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 26 दिनांक 15.12.2023

द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा ।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेशः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है क्योंकि अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत की सभा निधि में ₹1358187 से ₹16,31,369/– तक की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 557 दिनांक 14.12.2023 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र 26 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सभा निधि के खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि जमा योजना में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख–रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹21.61 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

ANNUAL REPORT

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजेन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹21,60,649/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि

के दौरान व्यय न करने के कारण धन अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त शेष अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व राशि ₹0.04 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

ANNUAL REPORT

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021–22 में ₹50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष व वर्ष 2022–23 में ₹100/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व ₹3,800/– (सम्पति कर ₹1800/– व विवाह पंजीकरण शुल्क ₹2000/–) वसूली हेतु शेष थाः–

1. सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021–22	4400	13900	18300	17700	600
2022–23	600	27800	28400	26600	1800

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 558 दिनांक 14.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 26 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि ₹1,800/– है वह शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹2000/– की वसूली न करने बारे :–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–)एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹2000/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2021–22 व 2022–23 में निम्न विवरणानुसाार ₹2000/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थेः–

क्र0 सं0	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वास्तविक वसूली गई राशि (₹)	कम वसूली गई राशि (₹)
1	05	रंजिता पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह	28.06.21	11.08.21	400	200	200
2	12	पूजा पुत्री श्री रमेश कुमार	27.11.21	08.12.21	200	0	200
3	01	अनिता कुमारी पुत्री श्री नारायण कृष्ण	23.01.22	07.02.22	200	0	200
4	02	रजनी देवी पुत्री श्री मंगत राम	22.01.22	0702.22	200	0	200
5	03	पूजा ठाकुर पुत्री श्री श्याम चन्द	24.04.22	10.05.22	200	0	200
6	04	सन्तोष कुमार पुत्र श्री देस राज	17.03.22	12.05.22	400	0	400

7	05	पूजा देवी पुत्री श्री भाग सिंह	23.04.22	17.05.22	200	0	200
8	06	निक्की कुमारी पुत्री श्री दामोदर दास	12.05.22	27.05.22	200	0	200
9	07	आँचल गोस्वामी पुत्री श्री जगदीश चन्द	14.05.22	30.05.22	200	0	200
						कुलः	2000

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 559 दिनांक 14.12.2023 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 26 दिनांक 14.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण की वसूली करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

ANNUAL REPORT

8. आपूर्तिकर्ता के बिलों से राशि ₹0.32 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करना :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹32,440/– का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 560 दिनांक 14.12.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 26 दिनांक 15.12.2023 सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। अतः भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹ 32,440/– के अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा

शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिट्रिक टन	रॉयल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि (₹)
प्रस्तुत **परिशिष्ट–2** अनुसार वर्ष 2021–22	रेत	1970	55.79	1.62	90.37	60	5422.00
	बजरी	1580	44.74	1.52	68.00	60	4080.00
	बोल्डर	2367	67.03	2.24	150.14	60	9008.00
	ईटें	4080					204.00
						कुल :	**18714.00**
प्रस्तुत **परिशिष्ट–2** अनुसार वर्ष 2022–23	रेत	200	5.66	1.62	9.16	80	733.00
	बजरी	500	14.16	1.52	21.52	80	1722.00
	बोल्डर	800	22.65	2.24	50.73	80	4058.00
	ईटें	14500					725.00
						कुल :	**7238.00**
				कुल 2021–22 व 2022–23			**25952.00**
						पैनल्टी 25 %	**6488.00**
						कुल योगः	**32440.00**

9. **औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹3.48 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :–**

ANNUAL REPORT

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹348190/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न

होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 561 दिनांक 14.12.2023 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 26 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

अतः क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि (₹)	कार्य का नाम
09, 11.08.21	बिल नं0 397 दि0 03.08.21, मै0 सुरेश फर्नीचर हाउस	दरवाजे खिडकियॉ	10500.00	नि0 कमरा स्टोर सभा फण्ड
23 31.03.22	बिल नं0 795, 796 दि0 30. 01.22 मै0 ओम इलैक्ट्रिकल एण्ड हार्डवेयर स्टोर	बिजली सामन इत्यादि	29618.00	मु0 पंचायत घर सभा फण्ड
26, 13.01.22	बिल नं0 2195 दि0 15.12.21, मै0 बुधी भाई इलैक्ट्रिकल स्टोर	बिजली फिटिंग	32500.00	नि0 आंगनबाडी भवन 14th FC
27, 13.01.22	बिल नं0 2176 दि0 29.12.21, मै0 बुधी भाई इलैक्ट्रिकल स्टोर	बिजली फिटिंग	26620.00	अपवर्धन सरकारी भवन 14th FC
36, 31.03.23	बिल नं0 061 दि0 28.10.22, मै0 बुधी भाई इलैक्ट्रिकल स्टोर	बिजली सामान	15277.00	ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन 14th FC
37, 31.03.23	बिल नं0 100 दि0 27.03.23, मै0 बुधी भाई इलैक्ट्रिकल स्टोर	सैनिटरी सामान	23210.00	ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन 14th FC
38, 39 31.03.22	बिल नं0 794, 798 दि0 शून्य मै0 ओम इलैक्ट्रिकल एण्ड हार्डवेयर स्टोर	बिजली सामान इत्यादि	48449.00	मु0 अपर्धन पंचायत घर 14th FC

39, 31.03.23	बिल नं0 895 दि0 29.03.23 मै0 विष्टा एण्टरप्राईजिज	वाटर कूलर	38500.00	पेयजल व्यवस्था पंचायत घर 14th FC
40, 31.03.23	बिल नं0 10252, 8030 दि0 24.03.23 मै0 पॉल हार्डवेयर	एन्गाल इत्यादि	12935.00	पेयजल व्यवस्था पंचायत घर 14th FC
20, 07.03.23	बिल नं0 7066 दि0 06.02.23 मै0 पॉल हार्डवेयर	सरिया	47880.00	नि0 पंचायत सामुदायिक भवन 15th FC
20/1, 07.03.23	बिल नं0 7095 दि0 07.02.23 मै0 पॉल हार्डवेयर	सरिया	48428.00	नि0 पंचायत सामुदायिक भवन 15th FC
20/2, 07.03.23	बिल नं0 7152 दि0 09.02.23 मै0 पॉल हार्डवेयर	सरिया	14273.00	नि0 पंचायत सामुदायिक भवन 15th FC
		कुल योग	348190.00	

ANNUAL REPORT

10. निर्माण सामग्री के क्रय में ₹0.03 लाख अधिक भुगतान बारे :–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निर्माण रास्ता बेली राम के घर से सूबा राम के घर की ओर हेतू 1200 इण्टरलॉक टाईलें ₹14/– प्रति टाईल की दर से क्रय की गई, जिसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका के पेज संख्या 56 से 58 पर दर्ज है । माप पुस्तिका की जाँच पर पाया कि उक्त टाईलें 29.53 स्कयेर मीटर में बिछाई गई हैं । अतः 29.53 ×33 = 975 टाईलें ही उक्त कार्य हेतु उपयोग की गई ,।

अतः 225 अधिक टाईलों की खरीद करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 562 दिनांक 14.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 26 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त भुगतान की छानबीन करने उपरान्त वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि 225 ×14 = ₹3150/– की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये ।

ANNUAL REPORT

11. मस्ट्रोल द्वारा ₹0.01 लाख के अधिक भुगतान करने बारे :–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 7(1) निर्माण कार्य नाली राम सिंह के घर से वार्ड सं0 5 हेतु मस्ट्रोल द्वारा निम्नविवरणानुसार विभिन्न व्यक्तियों को एक दिन का अधिक भुगतान किया गया । जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 563 दिनांक 14.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 26 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अधिक किये गये भुगतान की वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा :–

नाम	जितने दिनों का भुगतान किया गया।	उपस्थिति अनुसार जितने दिनों का भुगतान किया जाना था	अधिक भुगतान के दिनों की संख्या	दर	कुल अधिक भुगतान
किरना देवी पत्नी श्री लाल चन्द	22 दिन	21 दिन	1 दिन	275.00	275.00
निर्मला देवी पत्नी श्री प्रकाश चन्द	27 दिन	26 दिन	1 दिन	275.00	275.00
मोहन लाल पुत्र हरि सिंह	27 दिन	26 दिन	1 दिन	275.00	275.00
राज कुमार पुत्र श्री दुआना राम	28 दिन	27 दिन	1 दिन	321.00	321.00
					1146.00

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

ANNUAL REPORT

12. प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹9.25 लाख की राशि का भारी अन्तर पाया जानाः–

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफ्टवेयर में बनाये जा रहे है

उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹ 9,25,341.10 की राशि का निम्नविवरणानुसार भारी अन्तर पाया गया:—

31.03.2023 को प्रिया सॉफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	47,17,252.59
31.03.2023 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	37,92,018.49
अन्तर	₹	9,25,234.10

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 564 दिनांक 14.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 26 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफ्ट बेबसाईट बाधित होने के कारण अन्तर है, उक्त अन्तर को ठीक कर दिया जायेगा ।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के अन्तर को ठीक करने उपरान्त तदानुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

13. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :—

हि0प्र0 पंचायती रात (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार कनिष्ठ अभियन्ता स्तर पर करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 565 दिनांक 14.12.2023 द्वारा अवगत करवाया जिसके सन्दर्भ में अंकेक्षण पत्र संख्या 26 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि कुछ कार्य प्रगति पर हैं व कुछ कार्य कनिष्ठ अभियन्ता स्तर के है जिन्हें पूर्ण करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

1	नि0 नाली रमेश चन्द से घर से कृष्ण के घर तक 14th FC (2021-22)
2	बउण्डरी वाल महन्त समाधी 14th FC
3	नि0 रोड अजियापाल मन्दिर से भोलू राम के घर तक MPLAD (2022-23)
4	खाता ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन 14th FC
5	नि0 पंचायत सामुदायिक भवन 14th FC
6	नि0 सड़क देवती मन्दिर से जयचन्द के घर की ओर । 14th FC

14. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0 सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	अनुदान रजिस्टर	8	34
5	प्रकीर्ण मॉग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
10	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

16. लघु आपित्त विवरणिका :–

इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

17. **निष्कर्ष** :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

0 9 FEB 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
का०/प्रति
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

796 – 800

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)285/2021–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत चौगान, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

0 9 FEB 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
का०/प्रति
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Chougan" for the year ended 2021-22

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2	5 SFC	168760	268140	0	436900	296590	140310
3	VKVNY	50644	0	0	50644	0	50644
4	14TH FC	2193536.54	0	46806	2240342.54	913201	1327141.54
5	15TH FC	542749	949848	31777	1524374	17.7	1524356.3
9	SDP	608	147000	0	147608	146400	1208
11	MPLAD	23010	0	0	23010	0	23010
13	MNREGA	0	1151154	0	1151154	1151154	0
	Total Rs.	2979307.54	2516142	78583	5574032.54	2507362.7	3066669.84

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Chougan" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2	5 SFC	140310	263940	0	404250	294152	110098
3	VKVNY	50644	0	0	50644	0	50644
4	14TH FC	1327141.54	0	13589	1340730.54	1280335	60395.54
5	15TH FC	1524356.3	1272276	50570	2847202.3	957052.95	1890149.35
9	SDP	1208	231500	0	232708	200595	32113
11	MPLAD	23010	0	0	23010	5760.75	17249.25
13	MNREGA	0	1319142.25	0	1319142.25	1319142.25	0
	Total Rs.	3066669.84	3086858.25	64159	6217687.09	4057037.95	2160649.14

Balance as per Bank on 31.03.22

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDP,MPLAD,

A/c No. 20140003137	KCCB Chougan	1901859
A/c No. 50100366925864	HDFC Chougan	1890159.35
cash in hand		
	Total	3792018.35

Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)	1631369.35
Cash Book Balance on 31.03.2022	110098
Cash Book Balance on 31.03.2022	50644
Cash Book Balance on 31.03.2022	60395.54
Cash Book Balance on 31.03.2022	1890149.35
Cash Book Balance on 31.03.2022	32113
Cash Book Balance on 31.03.2022	17249.25
Total	3792018.49
diffrence	0.14

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत चौगान
वि.ख. बैजनाथ, कांगड़ा (हि.प्र.)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चौगान
वि. खण्ड बैजनाथ (कांगड़ा) हि.प्र.

Financial Position of Own sources in r/o GP Chougan

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	1358187	160572	64293	1583052	61363	1521689
2022-23	1521689	170445	64014	1756148	124778.65	1631369.35

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत चौगान
वि.ख. बैजनाथ, कांगड़ा (हि.प्र.)

परिशिष्ट-2
(अभिलेख प्रतिलिपि के क्र० संख्या 8 के संदर्भ में) ①

GRAM PANCHAYAT CHOUGAN DEV. BLOCK BAIJNATH

Sr.No.	Name of Work	Head	Vendor Name	Voucher No and Date	Bill No And Date	Sand (CFT)	Bajri (CFT)	Boulder(CFT)	Bricks	Amount
				Financial Year 2021-22						
1	C/o Soiled & liquid Waste Management ward no 1 to 7	14th fc	**Akshay Kumar**	40,31/03/ 2022	053,04/03 /2022	400				22000
2	C/O apvardhan Sarkari Bhawan Ward 1 to 07		**Akshay Kumar**	41,31/03/ 2022	029,01/11 /2021	170				9350
3	do	14th fc	**Akshay Kumar**	30,31/03/ 2022	030,03/11 /2021		300	160		20000
4	C/O sadak Devti Mandir to Jai Chand House	14th	**Akshay Kumar**	42,31/03/ 2022	026,04/08 /2021	170	350			26150
5	do	14th fc	**Akshay Kumar**	42/1,31/0 3/2022	027,05/08 /2021			1430		50050
6	C/o Drain Ramesh house to Karishna Devi House	14th fc	**Suresh Kumar**	44,31/03/ 2022	495,01/03 /2021	160	80	175		15250
7	C/o Path Main sadak to Chhatar Singh House	14th fc	**Suresh Kumar**	46,31/03/ 2022	231,02/10 /2020		500	280		10150
8	M/O sadak Main road to Beli Ram House	14th fc	**Suresh Kumar**	47,31/03/ 2022	435,02/10 /2020	70				3150
9	C/o Boundry Wall Mahant Smadhi Sathal ward 02	14th	**Suresh Kumar**	48,31/03/ 2022	415,22/07 /2020	1000	350	187	1580	25555
10	C/o Nali Subhash house to Khub Singh House	14th fc	**Suresh Kumar**	49,31/03/ 2022	090,02/10 /2020			135		4050
11	C/o Soiled & liquid Waste Management ward no 1 to4	14th fc	**Suresh Kumar**	50,31/03/ 2022	088,07/09 /2020				2500	22500
					Total	**1970**	**1580**	**2367**	**4080**	**208205**

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत चौगान
वि.ख. बैजनाथ, कांगड़ा (हि.प्र.)

18

(2)

Sr.No.	Name of Work	Head	Vendor Name	Voucher No and Date	Bill No And Date	Sand (CFT)	Bajri (CFT)	Boulder(CFT)	Bricks	Amount

Financial Year 2022-23

1	C/O Panchayat Samudayik Bhawan Chougan	15th fc	Suresh Kumar	21,16/03/2023	955,09/01/2023				3000 no.	30000
2	do-			21/1,16/03/2023	956,09/01/2023				3000 no.	30000
3	C/o Soiled & liquid Waste Management ward no 1 to 7	14th fc	M/S Jeet enterprises	40,31/03/2023	011,06/08/2022				5000 no.	47500
4	do	14th fc	do	40/1,31/03/2023	028,04/11/2022				3500 no.	33250
5	do	14th fc	do	41,31/03/2023	014,16/08/2022			800		28000
6	do	14th fc	do	42,31/03/2023	013,07/08/2022	200	500			33500
					Total	**200**	**500**	**800**	14500	**202250**

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत चौगान
वि.ख. बैजनाथ, कांगड़ा (हि.प्र.)

19